POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2015/अंक 12

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 दिसम्बर, 2015 मूल्य 50 पैसे

कम उत्पादन और अनुपलब्धता जैविक खेती में मुख्य बाधा - 'कट्स' सर्वे

हालांकि प्रदेश के 97.6 फीसदी किसान रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान से अवगत हैं, लेकिन जैविक खेती से कम उत्पादन का डर एवं जैविक खाद व बीज की अनुपलब्धता के कारण 69.6 फीसदी किसान रासायनिक खेती करने के लिए बाध्य हैं। जबकि 16.3 फीसदी किसान ही पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे हैं।

यह तथ्य 'कट्स' द्वारा प्रदेश के छह जिलों में चलाई जा रही 'प्रो-ओर्गेनिक' परियोजना के तहत कराए गए सर्वेक्षण में सामने आए हैं। यह परियोजना 'स्विडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन' स्वीडन के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के छह जिलों में चलाई जा रही है, जिसका मकसद जैविक खेती और उसके उपभोग को बढ़ावा देना है।

यह सर्वे छह जिलों की 51 ब्लॉक की 102 ग्राम पंचायतों में किया गया। सर्वे में 1605 किसानों और 1517 उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया और पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया। इनमें 40 फीसदी महिलाएं भी शामिल हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त नतीजों को 'कट्स' द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पैरवी एवं शोध प्रस्तुतिकरण बैठक में भी प्रस्तुत किया गया। बैठक में भाग लेते हुए राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ. शीतल प्रसाद, एस.के.एन. कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रोफेसर डॉ.ए.के.गुप्ता, कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा के प्रोफेसर डॉ. एस. मुखर्जी ने जैविक खेती की आवश्यकता और उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए।

कार्यक्रम में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने जैविक उत्पादों के लिए उपभोक्ता केन्द्रित नीति बनाने की जरूरत जताई। बैठक में कृषि अधिकारियों, जैविक खेती पर काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों व विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राजस्थान एक विकसित प्रदेश बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। पिछले दिनों हुए रिंसर्जेंट राजस्थान के शानदार आगाज के दौरान देश-प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य देशों के धन कुबेरों और उद्योगपतियों ने भी प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने व कई क्षेत्रों में सेवाओं के विस्तार के लिए खुले दिल से अरबों-खरबों के निवेश के प्रति रुचि जाहिर की।

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिंसर्जेंट राजस्थान का उद्घाटन करते हुए भरोसा दिया कि राजस्थान निवेश में आगे बढ़े, केन्द्र निवेशकों व राज्य सरकार की पूरी मदद के लिए तैयार है।

आयोजित समारोह के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों ने भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में विकास के लिए कई सौगातों की घोषणा की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देश-विदेश के सभी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राजस्थान में निवेश का माहौल तैयार है और सरकार हर संभव उनकी मदद करेगी।

इससे प्रदेश के आम जन में विकास के प्रति एक नया विश्वास उभरा है। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं लगता। मात्र रिंसर्जेंट राजस्थान का आयोजन करना ही उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। उद्योगपतियों से होने वाले करार धरातल स्तर पर नजर आए, तब ही कामयाबी संभव है। साथ ही सरकार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों की स्थापना को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए।

इन सब के लिए सरकार में नेकनियती का होना जरूरी है। कई स्तरों पर निवेशकों के साथ-साथ जन हित में भी फैसले लेने होते हैं, जिन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा करना जरूरी है। कई सुधारवादी कदम भी बढ़ाने होंगे। प्रशासनिक ढर्रे को सकारात्मक बनाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार व लाल फीताशाही पर नियंत्रण आवश्यक है, ताकि निवेश फ्रेंडली वातावरण बन सके।

पिता की मौत 2005 से पहले तो बेटी को संपत्ति में हिस्सा नहीं

हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में पिता की संपत्ति में बेटियों के बराबर के अधिकार को सीमित कर दिया है। कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए कहा, अगर पिता की मृत्यु 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन से पहले हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में बेटियों को संपत्ति में बराबर के अधिकार से वंचित रखा जाएगा। बेटी को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी तभी मिल सकेगी जब पिता 9 सितम्बर 2005 तक जीवित हो। कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 की व्याख्या करते हुए यह टिप्पणी की है।

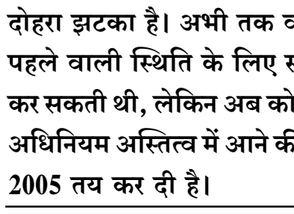

यह फैसला पिता की संपत्ति में हिस्से की चाहत रखने वाली बेटियों के लिए दोहरा झटका है। अभी तक वह 20 दिसम्बर 2004 से पहले वाली स्थिति के लिए संपत्ति पर दावा पेश नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कोर्ट ने इसके लिए संशोधित अधिनियम अस्तित्व में आने की तारीख यानी 9 सितम्बर 2005 तय कर दी है।

हक: कब है और कब नहीं

हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बेटी के लिए पिता की संपत्ति में किसी तरह के कानूनी अधिकार की बात नहीं कही गई है। वहीं संयुक्त हिंदू परिवार होने पर बेटी को जीविका की मांग का अधिकार दिया गया था। बाद में 9 सितम्बर 2005 को कानून में संशोधन कर इस असमानता को हटाया गया और पिता की संपत्ति में बेटी को भी बेटे के बराबर अधिकार दिया गया।

ब्रेड का वजन कम निकला, अब देना होगा हर्जाना

जयपुर में रामगढ़ मोड़ पर कृष्णा कॉलोनी निवासी हेमलता जायसवाल ने सूरजपोल बाजार हीदा की मोरी स्थित रिलायंस फ्रेश और ब्रेड उत्पादक हारवेस्ट गोल्ड इंडस्ट्रीज के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच, जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। जायसवाल ने अपने परिवाद में मंच को बताया कि उन्होंने रिलायंस फ्रेश से घर के लिए जरूरी सामान खरीदा था, जिसमें एक ब्रेड का 500 ग्राम का पैकेट भी था। उन्होंने इसकी पूरी कीमत 22 रुपए चुकाए। लेकिन जब उन्होंने ब्रेड के पैकेट का वजन कराया तो 380 ग्राम ही निकला। यानी पूरी कीमत देने के बाद भी 120 ग्राम कम। उन्होंने इसकी रिलायंस फ्रेश के अधिकारी से शिकायत भी की। लेकिन जवाब मिला कि हम पैकिंग उत्पाद, उत्पादक से मिली वास्तविक स्थिति पर ही बिक्री करते हैं। इसमें छेड़छाड़ नहीं की जाती।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने ग्राहक के साथ हुई इस धोखाधड़ी को गंभीर सेवा दोष माना। मंच ने हीदा की मोरी स्थित रिलायंस फ्रेश और ब्रेड उत्पादक हारवेस्ट गोल्ड इंडस्ट्रीज को आदेश दिए हैं कि वे हेमलता जायसवाल से अधिक वसूले गए पांच रुपए 28 पैसे नौ प्रतिशत ब्याज सहित वापस लौटाए, साथ ही जायसवाल को हर्जाने स्वरूप 7000 रुपए भी अदा करें।

फसल ऋण के साथ बढ़ा दुर्घटना बीमा

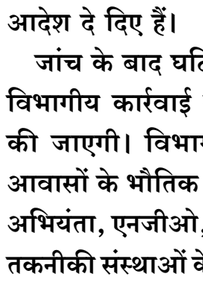

सहकारी बैंकों से फसल ऋण लेने वाले किसानों का दुर्घटना बीमा राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दी गई है। बीमा प्रीमियम की आधी राशि ऋण देने वाले सहकारी बैंक देंगे और शेष आधी राशि किसान से ली जाएगी। प्रयास यह भी है कि अगले साल पांच लाख रुपए का दुर्घटना बीमा लाभ देना शुरू कर दिया जाए।

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि प्रदेश में दुर्घटना बीमा योजना में अक्टूबर तक 17 लाख दस हजार किसानों को जोड़ा जा चुका है। समय पर सहकारी ऋण चुकाने वाले किसानों की ब्याज की रकम सरकार वहन कर रही है। ऋण के लिए आवेदन करने वाले काश्तकार को निश्चित सीमा तक ऋण दिया जा सकेगा।

घटिया निर्माण तो गिरेगी गाज

राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग योजनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री स्तर पर निर्देशों के बाद विभाग ने सभी जिलों में विभागीय योजनाओं के तहत निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी से जांच के आदेश दे दिए हैं।

जांच के बाद घटिया निर्माण के दोषियों पर विभागीय कार्रवाई करते हुए राशि भी वसूल की जाएगी। विभाग ने गुणवत्ता जांच और आवासों के भौतिक सत्यापन के लिए पंजीकृत अभियंता, एनजीओ, सरकारी और गैर-सरकारी तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को थर्ड पार्टी में शामिल किया है।

बेटी के जन्म पर मिलेंगे 21 हजार रुपए

राज्य सरकार प्रसूति सहायता योजना के अन्तर्गत महिला निर्माण श्रमिकों को लड़की के जन्म पर 21 हजार और लड़के के जन्म पर 20 हजार रुपए की सहायता राशि देगी। पहले यह राशि 10 हजार और 6 हजार रुपए थी। बढ़ाई गई राशि के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में पंजीकृत सात लाख से ज्यादा हिताधिकारियों व उनके आश्रितों को इसके अलावा छात्रवृत्ति, छात्राओं को नकद पुरस्कार, प्रशिक्षण, निजी आवास के लिए अनुदान जैसी कई योजनाओं एवं केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।

चलेगा जल स्वावलंबन अभियान

प्रदेश में 26 जनवरी से जल स्वावलंबन अभियान शुरू होगा। अभियान के पहले चरण में तीन से चार हजार गांवों में मिशन मोड पर वाटरशेड के कार्य किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सिविल सोसायटी, जन प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों एवं कॉर्पोरेट जगत से आगे आकर राजस्थान को जल स्वावलम्बी बनाने के अभियान में सहयोग का आह्वान किया है।

उन्होंने कहा है कि उद्योग जगत सरकार के कार्यक्रमों में भागीदार बनकर प्रदेश के विकास में सहयोग करें और नवाचारों पर आधारित ऐसे कार्यक्रम चलाएं, जिनका लाभ युवाओं, समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं को मिल सके।

लागू होगी स्वास्थ्य बीमा योजना

पूरे प्रदेश में 13 दिसम्बर से स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने योजना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी। योजना के लिए पात्र लोगों की पहचान के लिए भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड को आवश्यक बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि योजना के लाभ राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सेटेलाइट अस्पतालों, सब डिविजनल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे।

समीक्षा बैठक में चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि योजना से लाभार्थियों को कैशलेस सुविधाएं मिलेंगी। योजना के तहत हर साल करीब 400 करोड़ रुपए खर्च कर एक करोड़ परिवारों को तीन लाख करोड़ रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।

मनरेगा में घटी महिला मेट की संख्या

राज्य में मनरेगा योजना के तहत कार्यस्थल पर कम से कम 50 प्रतिशत महिला मेट लगाए जाने के आदेश धूल चाट रहे हैं। सभी जिलों में औसतन 20 फीसदी से भी कम महिला मेट काम कर रही है। जिलों में लगातार बरती जा रही लापरवाही से यह बदहाली सामने आई है। इसी कारण महिला मेट की कमी से महिला श्रमिकों के आंकड़े भी घटने लगे हैं।

केन्द्र सरकार के सामने यह पोल खुलने और नाराजगी के बाद अब ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग हरकत में आया है। कलेक्टरों को नियमित मॉनिटरिंग के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि वे मेट नियोजन के काम को नियमानुसार पूरा करेंगे।

किसान की त्रासदी

'ग्राम गदर' के पिछले अंक में किसानों के हक में नीति निर्माण की बात की गई है। सरकार को इस पर विचार करना होगा। मौसम की मार, सिंचाई व्यवस्था और गिरता भूजल स्तर, बढ़ता कर्ज का बोझ, काश्तकारों के हित में सरकारी प्रयासों की धीमी गति, खराब मुआवजा व्यवस्था और नौकरशाही द्वारा मुआवजे में टालमटोल जैसी समस्याओं से घिरे किसान के सामने अपने ही परिवार को पालने के लिए अन्न का दाना तक न बचे इससे बड़ी और क्या त्रासदी हो सकती है। कृषि प्रधान देश में किसानों की ऐसी हालत में सुधार के प्रयास नहीं हुए तो खाद्य सुरक्षा का सपना बेमानी साबित होगा।

- मनोहर लाल, कपासन, चित्तौड़गढ़

प्रदेश में पानी हुआ महंगा

प्रदेश में अब घरेलू और औद्योगिक संस्थानों को महंगी दरों पर पानी मिलेगा। राज्य सरकार ने एक नवम्बर 2015 से पानी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। घरेलू पानी की दरों में 44 पैसे से लेकर एक रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। जलदाय विभाग द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आठ हजार लीटर प्रतिमाह तक का पानी उपभोग करने वाले सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। वहीं 8 से 15 हजार लीटर पानी उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 1.56 की बजाय दो रुपए प्रति किलोलीटर की दर से बढ़ी दर देनी होगी।

इससे ज्यादा 40 हजार किलोलीटर पर 3 रुपए की बजाय 4 रुपए और 40 हजार किलोलीटर से ज्यादा उपभोग करने पर 5 रुपए प्रति किलोलीटर देने होंगे।

व्यावसायिक व औद्योगिक श्रेणियों के लिए पेयजल की उत्पादन लागत के अनुसार नई दरें तय की गई हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स', जयपुर